बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02 / कर (संशोधन)–03 / 2016 परि0 पटना, दिनांक–.....................

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–5(3) एवं 6(घ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है–

1. (क) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1, भाग–'क' के खण्ड–'अ' के कॉलम–4 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग मोटर साइकिल
1	2	3	4
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र।	(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से। (ii) एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से। (iii) आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से। (iv) पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से।

(ख) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1 भाग–ग के क्रम संख्या–3 (ग) को निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"3 (ग) तिपहिया वाहनः

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 7,700 (सात हजार सात सौ) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 7,000 (सात हजार) कर देय होगा।

(ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 16,000 (सोलह हजार) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 12,000 (बारह हजार) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 10,000 (दस हजार) कर देय होगा।

(ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1, भाग–ग के क्रम संख्या–3(क)(ii)(क) के अर्न्तगत मोटरसाईकिल के कर की दर को निम्नरुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(ii) एक लाख से उपर एवं आठ तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iii) आठ लाख से उपर एवं 15 लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iv) 15 लाख से उपर Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(v) बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–2(च) में वर्णित टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब (तिपहिया वाहन को छोड़कर) के कर की दर यथावत् रहेंगे।

(घ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–III को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है –

क्र0	व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
1	मोटर साईकिल	₹ 600/–
2	भारी वाहनों के चेसिस	₹ 1000/–
3	अन्य वाहन	₹ 800/–

2. यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से सात कार्य दिवस के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

राज कुमार,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02 / कर (संशोधन)–03 / 2016 परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02 / कर (संशोधन)–03 / 2016 परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02 / कर (संशोधन)–03 / 2016 परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव / सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) / सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी / सभी मोटरयान निरीक्षक / सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02 / कर (संशोधन)–03 / 2016 परि0.............5880 पटना, दिनांक–16.07.2[illegible]

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
16/07/2016

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02/कर (संशोधन)–03/2016 परि0 पटना, दिनांक–.....................

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–5(3) एवं 6(घ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है–

1. (क) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1, भाग–'क' के खण्ड–'अ' के कॉलम–4 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग मोटर साइकिल
1	2	3	4
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र।	(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से। (ii) एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से। (iii) आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से। (iv) पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से।

(ख) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1 भाग–ग के क्रम संख्या–3 (ग) को निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"3 (ग) तिपहिया वाहन:

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 7,700 (सात हजार सात सौ) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 7,000 (सात हजार) कर देय होगा।

(ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 16,000 (सोलह हजार) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 12,000 (बारह हजार) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 10,000 (दस हजार) कर देय होगा।

(ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1, भाग–ग के क्रम संख्या–3(क)(ii)(क) के अर्न्तगत मोटरसाईकिल के कर की दर को निम्नरुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(ii) एक लाख से उपर एवं आठ तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iii) आठ लाख से उपर एवं 15 लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iv) 15 लाख से उपर Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(v) बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–2(च) में वर्णित टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब (तिपहिया वाहन को छोड़कर) के कर की दर यथावत् रहेंगे।

(घ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–III को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है –

क्र0	व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
1	मोटर साईकिल	₹ 600/–
2	भारी वाहनों के चेसिस	₹ 1000/–
3	अन्य वाहन	₹ 800/–

2. यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से सात कार्य दिवस के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

राज कुमार,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर (संशोधन)–03/2016 परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर (संशोधन)–03/2016 परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर (संशोधन)–03/2016 परि0............5880 पटना, दिनांक–16.07.16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02 / कर (संशोधन)–03 / 2016 परि0 पटना, दिनांक–......................

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–5(3) एवं 6(घ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है–

1. (क) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1, भाग–'क' के खण्ड–'अ' के कॉलम–4 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग मोटर साइकिल
1	2	3	4
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र।	(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से। (ii) एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से। (iii) आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से। (iv) पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से।

(ख) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1 भाग–ग के क्रम संख्या–3 (ग) को निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"3 (ग) तिपहिया वाहनः

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 7,700 (सात हजार सात सौ) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 7,000 (सात हजार) कर देय होगा।

(ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 16,000 (सोलह हजार) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 12,000 (बारह हजार) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 10,000 (दस हजार) कर देय होगा।

(ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1, भाग–ग के क्रम संख्या–3(क)(ii)(क) के अर्न्तगत मोटरसाईकिल के कर की दर को निम्नरुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(ii) एक लाख से उपर एवं आठ तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iii) आठ लाख से उपर एवं 15 लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iv) 15 लाख से उपर Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(v) बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–2(च) में वर्णित टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब (तिपहिया वाहन को छोड़कर) के कर की दर यथावत् रहेंगे।

(घ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–III को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है –

क्र0	व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
1	मोटर साईकिल	₹ 600/–
2	भारी वाहनों के चेसिस	₹ 1000/–
3	अन्य वाहन	₹ 800/–

2. यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से सात कार्य दिवस के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
राज कुमार,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर (संशोधन)–03/2016 परि0.............,   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर (संशोधन)–03/2016 परि0.............,5880   पटना, दिनांक–18.07.16

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
16/07/16

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—..................

संख्या—02 / कर (संशोधन)—03 / 2016 परि0

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा—5(3) एवं 6(घ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है-

1. (क) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची—1, भाग—'क' के खण्ड—'अ' के कॉलम—4 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग मोटर साइकिल
			4
1	2	3	
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र।	(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से। (ii) एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहियां वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से। (iii) आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से। (iv) पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से।

(ख) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची—1 भाग—ग के क्रम संख्या—3 (ग) को निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"3 (ग) तिपहिया वाहनः

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 7,700 (सात हजार सात सौ) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहन पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 7,000 (सात हजार) कर देय होगा।

(ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 16,000 (सोलह हजार) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 12,000 (बारह हजार) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 10,000 (दस हजार) कर देय होगा।

(ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–1, भाग–ग के क्रम संख्या–3(क)(ii)(क) के अर्न्तगत मोटरसाईकिल के कर की दर को निम्नरुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(ii) एक लाख से उपर एवं आठ तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iii) आठ लाख से उपर एवं 15 लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iv) 15 लाख से उपर Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(v) बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–2(च) में वर्णित टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब (तिपहिया वाहन को छोड़कर) के कर की दर यथावत् रहेंगे।

(घ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची–III को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है –

क्र0	व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
1	मोटर साईकिल	₹ 600/–
2	भारी वाहनों के चेसिस	₹ 1000/–
3	अन्य वाहन	₹ 800/–

2. यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से सात कार्य दिवस के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
राज कुमार,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर (संशोधन)–03/2016 परि0 5840 पटना, दिनांक– 16-07-16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव